छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक २८/06/2018

क्रमांक एफ 17-68/2018/38-2

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :- सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, लोधीपारा, कांपा, रायपुर (छ0ग0) में वर्ष 2018-19 से नवीन पाठ्यक्रम/संकाय/अतिरिक्त अनुभाग प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपकी नस्ती क्रमांक 325/आउशि/18, दिनांक 24.03.2018।

---00---

राज्य शासन, एतद् द्वारा, सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, लोधीपारा, कांपा, रायपुर (छ0ग0) को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार सीट वृद्धि/नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	पी.जी. डिप्लोमा इन योगा (नवीन विषय/पाठ्यक्रम)	30 सीट
02.	बी.पी.ई. (नवीन विषय/पाठ्यक्रम)	30 सीट
03.	पी.जी.डी.सी.ए (सीट वृद्धि)	20 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जाए।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।
3. पी.जी.डी.सी.ए एवं बी.पी.ई. विषयों से संबंधित 1 लाख रुपयों की पुस्तकें क्रय की जाए।
4. 30 नग कंप्यूटर की एक लैब पाठ्यक्रम के अनुसार लाईसेंसीयुक्त सॉफ्टवेयर के सहित स्थापित की जाए।
5. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जाए।
6. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए।
7. कंडिका 18 की पूर्ति की जाए।
8. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त संबद्धता संबंधी शर्तों को समय-सीमा में पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
9. समस्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
10. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

4/- छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 की धारा-73 द्वारा माननीय मंत्रीजी से स्वीकृति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

-Sd/-
(नलिनी माथुर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग